



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4654]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 30, 2018/अग्रहायण 9, 1940

No. 4654]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 30, 2018/AGRHAAYANA 9, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2018

सं. 94/2018-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

का. आ 5880(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा शुल्क (गै. टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, जिसे का.आ. 748 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी-1, सारणी-2 और सारणी-3 के स्थान पर निम्नलिखित सारणियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:-

"सारणी-1

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य (अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1511 10 00	कच्चा पॉम ऑयल	463

2	1511 90 10	आर बी डी पॉम ऑयल	514
3	1511 90 90	अन्य पॉम ऑयल	489
4	1511 10 00	कच्चा पामोलीन	536
5	1511 90 20	आर बी डी पामोलीन	539
6	1511 90 90	अन्य पामोलीन	538
7	1507 10 00	सोयाबीन का कच्चा तेल	707
8	7404 00 22	पीतल स्क्रैप (सभी ग्रेड)	3690
9	1207 91 00	पोस्ट बीज	2121

सारणी-2

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य (अमरीकी डालर)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	71 या 98	स्वर्ण, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30.06.2017 की प्रविष्टि संख्या 356 और 358 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो	395 प्रति 10 ग्राम
2	71 या 98	रजत, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30.06.2017 की प्रविष्टि संख्या 357 और 359 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो	460 प्रति किलोग्राम

सारणी-3

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य (अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	080280	सुपारी	3947"

[फा. सं. 467/01/2018-सीमा शुल्क-V]

डॉ. श्रीपार्वती एस. एल., अवर सचिव

नोट:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, का.आ. 748 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत प्रकाशित की गई थी, तथा यह अंतिम बार अधिसूचना सं. 92/2018-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 15 नवम्बर, 2018, जिसे का.आ. 5743(अ) दिनांक 15 नवम्बर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में ई-प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2018

No. 94/2018-Customs (N.T.)

S.O. 5880(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes & Customs, being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 36/2001-Customs (N.T.), dated the 3rd August, 2001, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide number S. O. 748 (E), dated the 3rd August, 2001, namely:-

In the said notification, for TABLE-1, TABLE-2, and TABLE-3 the following Tables shall be substituted, namely: -

“TABLE-1

Sl. No.	Chapter/ heading/ sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value (US \$Per Metric Tonne)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1511 10 00	Crude Palm Oil	463
2	1511 90 10	RBD Palm Oil	514
3	1511 90 90	Others – Palm Oil	489
4	1511 10 00	Crude Palmolein	536
5	1511 90 20	RBD Palmolein	539
6	1511 90 90	Others – Palmolein	538
7	1507 10 00	Crude Soya bean Oil	707
8	7404 00 22	Brass Scrap (all grades)	3690
9	1207 91 00	Poppy seeds	2121

TABLE-2

Sl. No.	Chapter/ heading/ sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value (US \$)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	71 or 98	Gold, in any form, in respect of which the benefit of entries at serial number 356 and 358 of the Notification No. 50/2017-Customs dated 30.06.2017 is availed	395 per 10 grams

2	71 or 98	Silver, in any form, in respect of which the benefit of entries at serial number 357 and 359 of the Notification No. 50/2017-Customs dated 30.06.2017 is availed	460 per kilogram
---	----------	--	------------------

TABLE-3

Sl. No.	Chapter/ heading/ sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value (US \$ Per Metric Tonne)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	080280	Areca nuts	3947''

[F. No. 467/01/2018 -Cus-V]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy .

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide Notification No. 36/2001–Customs (N.T.), dated the 3rd August, 2001, vide number S. O. 748 (E), dated the 3rd August, 2001 and was last amended vide Notification No. 92/2018-Customs (N.T.), dated the 15th November, 2018, e-published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide number S. O. 5743 (E), dated 15th November, 2018.